[भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना संख्या 42/2025-26
नई दिल्ली, दिनांक: 14 अक्टूबर, 2025

विषयः मांस एवं मांस उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय -2, अनुसूची- II (निर्यात नीति) के अंतर्गत निर्यात नीतिगत शर्त 9 को निम्नानुसार शामिल करती है:

"एपीडा द्वारा संचालित मांस निर्यात विकास निधि (एमईडीएफ) में अंशदान का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन शीतित/जमे हुए मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।"

2. उपर्युक्त प्रावधान का संदर्भ लें, अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त केवल निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के सामने डाली गई है:

एच एस कोड	**माल का विवरण**	**अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त**
0201- गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और शीतित		
02013000	- हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी होगा।
0202- गोजातीय पशुओं का मांस, जमाया हुआ		
02023000	- हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी होगा।
0206- गोजातीय पशुओं का खाने योग्य ओफल, ताजा शीतित या जमा हुआ		
02061000	- गोजातीय पशुओं का, ताजा या शीतित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी होगा।
02062100	- गोजातीय पशुओं की, जमी हुई:-- जीभें	
02062200	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए:-- यकृत	
02062900	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए :-- अन्य	

.3निर्यातकों को कुछ पारवहन समय प्रदान करने के लिए, यह 29.10.2025 से लागू होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: पैरा 2 में निर्दिष्ट शीतित और जमे हुए मांस उत्पादों के निर्यात को केवल एपीडा द्वारा संचालित मांस निर्यात विकास निधि (एमईडीएफ) में अंशदान जमा करने पर अनुमति दी जाएगी। यह अधिसूचना 29.10.2025 से प्रभावी होगी।

(अजय भादू)
अपर सचिव, भारत सरकार एवं
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी/ई-24267 से जारी)